9. किशनाराम 10. धुराम 11. देवाराम
पि: आत्मराम 12. श्रीमती मिश्रांदेवी
w/o आत्मराम कौम मेघवाल
नि: नागाणा (बारंग) तह: शिव
— — — — — — — — — — — —

...6-18 वादीगण ने मय वकील श्री नरेन्द्र सिंहजी त्रिपाठ वयुकाम कैम्प प्राप्प आपके द्वारा बलाई उपस्थित होकर इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक सम्पति की संयुक्त हक, कब्जाशुदा व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 376-08 बीघा ग्राम नागाणा व खसरा नम्बर 244 रकबा 233-13 बीघा ग्राम रामदेवपुरा तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त पक्षकार मृतवधी बाधू के वारिस हैं, जिनके दो पुत्र - वादीगण के पूर्वपुरुष मानाराम तथा प्रतिवादी सं. 1 के पितामह देवाराम थे। देवाराम के दो पुत्र - प्रतिवादी सं. 1 के पिता केताराम व शंभूराम थे, जिनमें से शंभूराम के लावल्द कुंवारा फौत होने पर उसका हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 में निहित हो गया। मानाराम के तीन पुत्र - वादी सं. 1 से 3 के पिता व वादी सं. 6 से 9 के पितामह-श्वसुर चोखाराम, वादी सं. 9 से 11 के पिता-पति आत्मराम तथा लावल्द कुंवारा फौत केताराम थे। राजस्व कर्मियों ने नाम के साम्य के कारण त्रुटिवश केताराम पुत्र मानाराम के फौत होने पर बतौर वारिस केताराम पुत्र देवाराम के पुत्र प्रतिवादी सं. 1 तामलराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया, जबकि केताराम/मानाराम के कुंवारा फौत होने पर उसका समग्र हिस्सा वादीगण में निहित हो गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में ½ हि. वादीगण का व ½ हि. प्रतिवादी सं. 1 का है। इसी अनुपात पक्षकार

राजस्व वाद ...
राजस्थान काश्तकारी अधि.
मु. सं. 174/18

[Right margin signatures/names:] गंगाराम, किशनाराम, धनश्याम, जगदीश प्रसाद, लीला, सरोज, गीता, धर्माराम, देवाराम, नि. मिसरा, नि. रूपादे, नि. बालव

नायब कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रत्येक पक्ष की अपने-अपने हिस्से पर ढाणियां टांके आदि निर्मित है। वादीगण ने उक्त भूमि में ½ हि. अपनी व ½ हि. प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में घोषित करवाने, तामलराम की केसाराम पुत्र मानाराम के वारिस के तौर पर राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रविष्टि निरस्त करवाने तथा मालिक कब्जाधारी अपने ½ हि. की भूमि पृथक करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ की गई।

वादी की ओर से ~~वादकथन~~ के प्रस्तुत वाद का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड से अपनी गलत दोहरी प्रविष्टि निरस्त करने सहित समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

वादीगण की ओर से वादकथन के समर्थन में अजबाराम PW1, तामलराम PW2 व गवाह नाथूराम PW3 के शपथपत्र प्रस्तुत हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मौजा नागाणा की ख. न. 366 की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 EXP-1, ग्राम रामदेवपुरा की ख. नं. 244 की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 ExP-2, मृतक मानाराम की फौतगी पर दायर ना. क. ExP-3, केसा पुत्र देवा की फौतगी पर तामलराम के नाम दायर व पारित ना. क. ExP-4, मानाराम के पुत्रों के फौत होने पर दायर ना. क. ExP-5 प्रस्तुत किये गये।

लोक अदालत की भावना से की गई समझाईश के आधार पर उभय पक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत किया, जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर पटवारी हल्का आरंग को मालिक कब्जाकाश्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में मौतीदान पटवारी आरंग ने दोनों थोकों की भूमि पृथक पृथक रंग से दरसाते हुए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये।

विभाजन प्रस्तावों पर दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव पक्षकारान द्वारा धारित रकबानुसार तैयार किये गये हैं और मालिक प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में दोनों पक्षों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

लिहाजा मालिक राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नागाणा तहसील शिव की ख.नं. 366 रकबा 376-08 बीघा तथा ग्राम रामदेवपुरा तहसील शिव की खसरा नम्बर 245 रकबा 23-13 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है तथा नामल पुत्र खेता की वह प्रविष्टि, जो खेता पुत्र भानाराम के कुंवारा फौत होने के बावजूद गलत दर्ज की गई है, निरस्त की जाती है :-

क्र.सं.	नाम पक्षकार	ग्राम	ख.नं.	रकबा बीघा-बिस्वा	रंग
1.	अजबाराम प्रागाराम किशनाराम पि. चोखाराम घनश्याम जगदीशप्रसाद पि. किशनाराम लीला, सरोज, गीता पुत्रियां किशनाराम श्रीमती शांतिदेवी पत्नी किशनाराम श्रीराम देवाराम पि. आत्माराम श्रीमती मिश्रीदेवी पत्नी आत्माराम कौम मेगवाल सा.देह खातेदार रहन किशनाराम के वारिसान का हि. PNB उण्डू किशनाराम आदि RMGB	नागाणा	366	305-01	काला

2. तामलराम पुत्र केतराम नागाणा 366 71-07
कौम मेगवाल सा देह रामदेवपुरा 244 232-17
खातेदार रहन PNB उण्ड्र 629/244 0-16

योग 3 305-00 गुलाबी

बैंक तामलराम को दिये गये ऋण की राशि उसके हिस्से में घोषित भूमि के आधार पर वसूल करें। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद व नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव (मौका फर्द) के संलग्न प्रस्तुत नक्शे इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो।

निर्णय आज दि. 28-6-18 को बमुकाम कैम्प बलाई सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिकरी व मुकदमों इत्यादि

(आदेश 20, [illegible])

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

[illegible] — श्री अरुणाचलेश्वर शर्मा RAS

1. केवलाराम 2. प्रागाराम 3. किशनाराम पि. चोखाराम 4. धनश्याम 5. जगदीशप्रसाद पि. किशनाराम 6. लीला 7. सरोज 8. गीता पुत्रियां किशनाराम 9. शान्तिदेवी w/o किशनाराम 10. श्रीराम 11. [illegible] पि. बालाराम 12. [illegible] 13. [illegible] कौम मेघवाल नि. नागाणा तह. शिव

1. सफलाराम पुत्र खेताराम कौम मेघवाल नि. नागाणा 2. मैनेजर रा.म. ग्रामीण बैंक 3. मैनेजर P.N.B. [illegible] 4. तहसीलदार शिव

14/18 — 88 [illegible] न्यायालय

वादीगण का वाद माफिक [illegible] एवं विभाजन प्रारम्भ स्वीकार किया जाता है।

→ विस्तृत विशेष पृष्ठ पर अंकित किया।

[illegible] उभयों पक्षकार अपना-अपना वहन करें। 28 — 6 — 18

हस्ताक्षर [illegible]

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

[illegible]	रकम	[illegible]	प्रतिवादी	रकम
स्टाम्प वादपत्र			स्टाम्प [illegible]	
[illegible]			स्टाम्प अर्जी	
[illegible]			[illegible]	
[illegible]			[illegible]	
[illegible]			फीस [illegible]	
फीस [illegible]			[illegible]	
[illegible]			[illegible]	
[illegible]				
मीजान			मीजान	

नोट:— [illegible] करना चाहिये।

[illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

राजस्व वाद सं. 174/18

अजबाराम v/s तामलराम

निर्णय - दिनांक 28-6-18

सेवार्थ

—xxx—

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम नागाणा तहसील शिव की खसरा नम्बर 366 रकबा 376-08 बीघा तथा ग्राम रामदेवपुरा तहसील शिव की खसरा नम्बर 245 रकबा 233-13 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र.सं.	नाम पक्षकार	ग्राम	ख.नं.	रकबा बीघा-बिस्वा	बरंग
1.	अजबाराम पुगाराम किशनाराम पि. चोखाराम घनश्याम जगदीशप्रसाद पि. किशनाराम लीला, सरोज गीता पुत्रियां किशनाराम श्रीमती शांतिदेवी पत्नी किशनाराम श्रीराम देवाराम पि. आत्माराम श्रीमती मिश्रीदेवी w/o आत्माराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन - किशनाराम के वारिसान का हि. PNB उण्डू किशनाराम का ~~वारिसान~~ हिस्सा RMGB चौहटन	नागाणा	366	305-01	काला
2.	तामलराम पुत्र केताराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन PNB उण्डू	नागाणा रामदेवपुरा	366 245 629/245	71-07 232-17 0-16	
			3	305-10	गुलाबी

बैंक तामलराम को दिये गये ऋण की राशि उसके हिस्से में घोषित भूमि के आधार पर वसूल करे। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद और नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव (मौका फर्द) के संलग्न प्रस्तुत नक्शे इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे।

सहायक कलक्टर (SD…

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner